August 20, 2026

The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
BSE Scrip code – [532541]
Equity ISIN INE591G01025

The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Symbol – [COFORGE]

Subject: Newspaper publication – Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education Protection Fund and KYC details

Dear Sir/Madam,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Advertisement of reminder for shareholder for transfer of unpaid/unclaimed dividend and equity shares to IEPF and KYC details" in the following newspapers:

a) Business Standard (Hindi)
b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take the same into record.

Thanking you,

Yours truly,

For **Coforge Limited**

BARKHA SHARMA Digitally signed by BARKHA SHARMA Date: 2026.08.20 12:06:51 +05'30'

Barkha Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

Coforge | कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100HR1992PLC128382
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 13, उद्योग विहार, फेज–IV, सेक्टर–18, पालम रोड, गुरुग्राम–122015, हरियाणा, भारत
फोन : 0124 - 4627837.
ई-मेल: investors@coforge.com, **वेबसाइट:** https://www.coforge.com

सूचना

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अंतरण तथा केवाईसी विवरण

कंपनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण तथा रिफंड) नियम, 2016 (''नियम'') तथा इसके अंतर्गत किए गए संशोधनों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124 (अप्रदत्त लाभांश खाता) तथा धारा 125 (निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ''आईईपीएफ'') के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी द्वारा अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश को सात वर्ष पूर्ण होने के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

आगे, कंपनी के ऐसे इक्विटी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात (7) वर्षों या उससे अधिक समय से अप्रदत्त/अदावाकृत रहा है, उन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) सस्पेंस खाते में अंतरित किया जाना आवश्यक है।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत संचार पहले ही भेज दिया है, जिसमें उन्हें उनके अदावाकृत लाभांश का विवरण प्रदान किया गया है तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में उनके शेयरों के अंतरण से बचने के लिए अधिकतम सोमवार, 31 अगस्त, 2026 तक उक्त अदावाकृत लाभांश का दावा करने का अवसर दिया गया है।

ऐसे शेयरधारकों, अदावाकृत लाभांश तथा आईईपीएफ सस्पेंस खाते में अंतरण के लिए निर्धारित शेयरों का विवरण शेयरधारकों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए कंपनी की वेबसाइट **www.coforge.com** पर उपलब्ध है।

संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ में हस्तांतरित किए जाने वाले अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश तथा शेयरों के विवरण की पुष्टि करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं तथा अपने लाभांश दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी के निवेशक सेवा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। सोमवार, 31 अगस्त, 2026 तक संचार प्राप्त न होने की स्थिति में, कंपनी नियमों द्वारा निर्दिष्ट देय तिथि या ऐसी आगे बढ़ाई गई तिथि, जो भी लागू हो, तक आवश्यक अनुपालन हेतु लाभांश तथा/अथवा शेयरों को अंतरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

इस संबंध में कृपया ध्यान दें कि :

i. भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए :
बिना किसी अग्रिम सूचना के नए शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे तथा तत्पश्चात आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, ऐसे नए शेयर प्रमाण पत्र जारी होने पर आपके नाम से पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे तथा खराब डिलीवरी (बैड डिलीवरी) माने जाएंगे।

ii. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए :
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की सहायता से बिना किसी अग्रिम सूचना के शेयर सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

सदस्य आगे ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए विवरण को आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित अदावाकृत लाभांश राशि तथा शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अदावाकृत लाभांश राशि तथा आईईपीएफ को अंतरित शेयरों का दावा संबंधित शेयरधारकों द्वारा उपर्युक्त आईईपीएफ नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से किया जा सकता है, जो उनकी वेबसाइट **https://www.iepf.gov.in** पर उपलब्ध है।

डीमटेरियलाइजेशन तथा केवाईसी अद्यतन :
भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने भौतिक शेयरों को डीमटेरियलाइज्ड प्रारूप में परिवर्तित करने पर विचार करें तथा भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करें।

ईमेल पतों तथा बैंक विवरणों के पंजीकरण की प्रक्रिया :
जिन सदस्यों के ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे (i) संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमटेरियलाइज्ड शेयरों के मामले में) या (ii) एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, पहली मंजिल, एंबेसी 247, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई – 400 083 (''आरटीए'') से **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com** पर या कंपनी से **investors@coforge.com** पर (भौतिक शेयरों के मामले में) फॉर्म आईएसआर–1 (कंपनी की वेबसाइट **https://www.coforge.com/hubfs/Form-ISR-1.pdf** पर उपलब्ध) में हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र के साथ पैन कार्ड तथा पते के प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रति तथा उक्त फॉर्म में प्रदान किए गए अन्य दस्तावेजों को भेजकर अपना ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, पत्राचार का पता, ईमेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), मैनडेट्स, नामांकन, मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी), बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तनों, यदि कोई हो, की सूचना सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 तिथि 3 नवंबर, 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 तिथि 14 दिसंबर, 2021 के साथ पठित सेबी मास्टर परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 तिथि 23 जून, 2025 तथा समय–समय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसरण में निर्धारित फॉर्म आईएसआर–1 तथा अन्य फॉर्मों में शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित होने की स्थिति में अपने डीपी को तथा शेयर भौतिक रूप में धारित होने की स्थिति में आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दें।

उपर्युक्त विषय पर किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, पहली मंजिल, एंबेसी 247, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई – 400 083 (''आरटीए'') से **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com** पर, दूरभाष सं.: +91 8108116767 या कंपनी के निवेशक सेवा विभाग, प्लॉट नं. 13, उद्योग विहार, फेज–IV, सेक्टर–18, पालम रोड, गुरुग्राम – 122015, हरियाणा, भारत, दूरभाष सं.: 0124–4627837; ईमेल : **investors@coforge.com** पर संपर्क करें।

कृते एवं हिते
कोफोर्ज लिमिटेड
हस्ता/–
बरखा शर्मा
कम्पनी सचिव
ACS: 24060

तिथि : 18 अगस्त, 2026
स्थान : नोएडा

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) (CIN: U67190MH2008PLC181062) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **दीपक कुमार (गारंटर)** को **22.05.2026** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLKAR00199652** की राशि **रू. 15,81,578/- (रूपये पंद्रह लाख इक्यासी हज़ार पाँच सौ अठहत्तर मात्र)** और **21.05.2026** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.08.2026** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों(ओं) और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 15,81,578/- (रूपये पंद्रह लाख इक्यासी हज़ार पाँच सौ अठहत्तर मात्र) 21.05.2026** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय मंजिल नं. 201, पहली मंज़िल पर, ब्लॉक- ओ, टाइप- बी, जिसका बिक्री योग्य एरिया लगभग 1075 स्क्वे.फीट (यानी 99.90 स्क्वे.मीटर्स.), साथ ही एक खुली कार पार्किंग की जगह, भूतल पर, प्लॉट नं. ओ/बी-201 पर निर्मित, "सीएचडी पैराडिसो फ़्लोर्स" पर, सीएचडी सिटी में, सेक्टर 45, करनाल-132001, हरियाणा ।

सही/-
दिनांक : 19.08.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : करनाल — **इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**
आईएसएआरसी-2025-2026-5 ट्रस्ट के ट्रस्टी के के रूप में कार्यरत

ANANDRATHI GLOBAL FINANCE
आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
एक्सप्रेस जोन, बी विंग, 5वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मलाड (पूर्व), मुंबई– 400097

अधिग्रहण सूचना

समस्त संबंधित पक्षकार यह सूचना प्राप्त करें कि, जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधि. 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **माँग सूचना (विवरणों को विशिष्ट रूप में निम्न तालिका में वर्णित किया गया है, यहाँ इसमें इसके उपराँत ''माँग सूचना'')** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 उप–धारा 2 के अंतर्गत निर्गत की गयी थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) **(विवरण विशिष्ट रूप में निम्न तालिका में वर्णित हैं, यहाँ इसमें इसके उपरांत उधारकर्ता(गण)) को माँग सूचना** में अंकित राशि का ब्याज की संविदागत दर पर राशि पर नियत ब्याज एवं भावी भावी ब्याज के साथ, आगे की माँग सूचना की तिथि से एआरजीएफएल द्वारा वसूलीकरण एवं / अथवा भुगतान की तिथि तक, निर्धारित लागतों एवं शुल्कों एवं अन्य भुगतानयोग्य धनराशियों (यदि कोई) के साथ (यहाँ इसमें इसके उपरांत देय राशि), का माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि उधारकर्ता(गण) तथा सह–उधारकर्ता(गण) उक्त बकाया देय राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहाँ इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों (माँग सूचना के अंतर्गत परिभाषितानुसार) का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, विशिष्ट रूप में यहाँ इसमें निम्नाँकित तिथि को, **सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।**

इसके बाद ऋणदाता (एआरजीएफएल) ने जिला मस्ट्रिेट, फरीदाबाद के न्यायालय के समक्ष एक **प्रकरण सं. 104/एसए/डीसी/11.05.2026 प्रस्तुत किया है तथा 19.05.2026** को जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद के न्यायालय द्वारा भौतिक अधिग्रहण प्राप्त करने हेतु एक आदेश पारित किया गया था तथा आदेश के आधार पर हमने **18.08.2026** को बंधक संपत्ति का भौतिक अधिग्रहण ले लिया है। (बंधककृत संपत्ति अनुसूची–। में वर्णितानुसार है)।

उसके पश्चात् एआरजीएफएल ने उपरोक्त कथित शपथपत्र के अनुपालन में तथा जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद के न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त कथित आदेश के अनुसरण में प्रतिभूत परिसंपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण ले लिया है।

उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक **बकाया राशि** (विशिष्ट रूप में यहाँ इसमें निम्नाँकित) तथा ब्याज की संविदागत दर पर राशि पर नियत भविष्य के एवं भावी ब्याज के साथ, एआरजीएफएल द्वारा वसूलीकरण एवं / अथवा भुगतान की तिथि तक निर्धारित लागतों एवं शुल्कों एवं अन्य भुगतानयोग्य धनराशियों (यदि कोई) के साथ, हेतु आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) के नाम पते : जेएसडी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भूखंड सं. 64, शिव मंदिर लेन, डाबुआ पाली, औद्योगिक क्षेत्र, इंडेन गैस गोदाम के पास, फरीदाबाद, हरियाणा–121001

सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम पते : (1) दिवंगत श्री अजय पांडे के समस्त विधिक उत्तराधिकारी, 2) रचना पांडे, मकान नं. डी–1101, बी पी टी पी पार्क, ग्रैंड्यूरा, सेक्टर–82, ग्रेटर फरीदाबाद, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा : 121004

लागू अनुसार भावी ब्याज के साथ माँग सूचना के अनुसार बकाया देयराशि :– रु. 1,10,63,896/– (रुपये एक करोड़ दस लाख तिरेसठ हजार आठ सौ छियानबे मात्र)	आरओआई	12.50%
	बकाया मूलधन	10,529,673
	लंबित ईएमआई राशि	513,520
	खंडित अवधि ब्याज	-
माँग सूचना की तिथि : 11–02–2026	अति देय ब्याज	15,603
	विधिक शुल्क	-
ऋण अनुबंध सं.: APPL00026688	सूचना शुल्क	1,100
	ईएमआई बाउंस शुल्क	4,000
अधिग्रहण की तिथि : 18 अगस्त, 2026	**कुल बकाया**	**1,10,63,896/-**

संपत्ति का पता : सं. डी–1101 धारक यूनिट का बंधक, अधि क्षेत्र मापन 2032 वर्ग फुट, 11वें तल, टॉवर–डी, पार्क ग्रैंड्यूरा के नाम से विदित कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–82, ग्राम भटोला, फरीदाबाद, हरियाणा–121004 में स्थित है।

दिनांक : 18 अगस्त 2026 — **हस्ता./– आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड**
स्थान : दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**

TATA
टाटा कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400013
फोन न. : 022-6606 9000 कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L65990MH1991PLC060670
वेबसाइटः www.tatacapital.com

शाखा बंद होने और स्थानांतरित होने के संबंध में सार्वजनिक सूचना

टाटा कैपिटल लिमिटेड (''कंपनी''), जिसका पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है, एतद्वारा अपने ग्राहकों और सभी संबंधित लोगों को सूचित करती है कि कंपनी का नीचे उल्लेखित शाखा कार्यालय दिनांक 25 नवंबर, 2026 से बंद हो जाएगा और एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा :

मौजूदा शाखा कार्यालय का पता (जिसे बंद किया जाना प्रस्तावित है) :
130 केबी बिजली घर के पास खैर–जेवर रोड, खैर जिला। अलीगढ, अमरोहा, उत्तर प्रदेश – 202138.

नई शाखा कार्यालय का पताः
कल्पना वशिष्ठ, ग्राउंड फ्लोर, अपोजिट। अनाज मंडी, जे.पी. नगर, खैर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202138.

किसी भी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया **customercare@tatacapital.com** पर लिखें।

कृते एवं की ओर से
स्थान : **मुंबई** — टाटा कैपिटल लिमिटेड
दिनांक : **20 अगस्त 2026** — प्राधिकृत अधिकारी

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
[कंपनी (गठन) नियम, 2014 के लागू नियम के अनुसार]
सूचना
केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ-I, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) के मामले में;
-तथा-
कंपनी (गठन) नियम, 2014 के मामले में
-तथा-
कोलाही इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U72200DL2006PTC144552)
कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 129, ट्रांसपोर्ट सेंटर, पहली मंजिल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, भारत, 110026 है, के मामले में

आवेदक/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **दिल्ली राज्य** में कंपनियों के पंजीयक-II के अधिकार क्षेत्र से कंपनियों के पंजीयक-I के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 18 अगस्त, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के मद्देनजर कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टी की मांग करते हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ-I के समक्ष आवेदन दायर करने जा रही है।
कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, वे अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर एमसीए-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भर कर अथवा उसके कारणों को प्रेषित कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ-I, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास उसके ऊपर उल्लेखित पते पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें:

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से
कृते कोलाही इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
निदेशक
स्थानः नई दिल्ली — **[राजबीर नरवाल]**
दिनांकः 19 अगस्त, 2026 — **डीआईएन सं.: 00856009**

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन
[कंपनी (गठन) नियम, 2014 के लागू नियम के अनुसार]
सूचना
केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ-I, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) के मामले में;
-तथा-
कंपनी (गठन) नियम, 2014 के मामले में
-तथा-
सर्वेश कोलटेक प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U10101DL2003PTC122765)
कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 129, ट्रांसपोर्ट सेंटर, न्यू रोहतक रोड, पंजाबी बाग, दिल्ली, भारत, 110035 है, के मामले में

आवेदक/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **दिल्ली राज्य** में कंपनियों के पंजीयक-II के अधिकार क्षेत्र से कंपनियों के पंजीयक-I के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **18 अगस्त, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के मद्देनजर कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टी की मांग करते हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ-I के समक्ष आवेदन दायर करने जा रही है।
कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, वे अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भर कर अथवा उसके कारणों को प्रेषित कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ-I, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास उसके ऊपर उल्लेखित पते पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें:

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से
कृते सर्वेश कोलटेक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
निदेशक
स्थानः नई दिल्ली — **[अजय मृग]**
दिनांकः 19 अगस्त, 2026 — **डीआईएनः 00026593**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवा विभाग)
दूसरी मंजिल, पारस टावर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उ.ख. 248171
सार्वजनिक सूचना
ओ.ए. सं. 92 ऑफ 2026 में

ऋणों की वसूली एवं दिवालिया अधिनियम 1993 की धारा 19 की उप धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) (समय-समय पर यथा संशोधन) के अनुसार समन

डीवाई. सं. 861/2026 — **दिनांकः 14.08.2026**

एचडीएफसी बैंक लि. बनाम मेसर्स एचके मेटल्स एवं अन्य

प्रति, 1. मेसर्स एचके मेटल्स इसके स्वत्वाधिकारी श्री खुश नवाज कुरेशी निवासी प्रिंस रोड, वाजिद नगर कॉम्प्लेक्स के निकट, जिला मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001 **2. श्री खुश नवाज कुरेशी पुत्र इफ्तेकार कुरेशी** निवासी असलतपुरा बड़ा हाता के निकट, मोरादाबाद, जिला मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001, **3. श्रीमती बेनजीर इकबाल पत्नी श्री खुश नवाज कुरेशी** निवासी असलतपुरा बड़ा हाता के निकट, मोरादाबाद, जिला मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001, **4. श्रीमती शकरा परवीन पत्नी इफ्तेकार कुरेशी** निवासी असलतपुरा बड़ा हाता के निकट, मोरादाबाद, जिला मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001.

चूंकि ऊपर्युक्त नामित आवेदक बैंक द्वारा **रु. 1,69,79,379.85/-** के बकाया ऋणों की वसूली के लिए आपके खिलाफ **ओए सं. 92 ऑफ 2026** दायर किया है, जिसके तहत माननीय न्यायाधिकरण ने सहर्ष बकाया ऋणों की वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत समन/सूचना जारी की थी एवं **दिनांक 10.08.2026** को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

चूंकि, न्यायाधिकरण की संतुष्टि के तहत यह दर्शाया गया है कि इस सूचना को आपके पास साधारण तरीके से भेजा जाना संभव नहीं है। फलस्वरूप, आपको इस न्यायाधिकरण में **दिनांक 04.11.2026 को सुबह 10.30 बजे** व्यक्तिगत रूप में अथवा भलीभांति अधिकृत एजेंट अथवा अधिवक्ता के जरिए उपस्थित होने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से इस सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अलावा, आपको यह कारण बताना होगा कि ओए में प्रार्थित राहतों को क्यों न स्वीकार कर लिया जाए तथा अपने बचाव में व्यक्तिगत रूप से अथवा यथावत रूप से अधिकृत एजेंट अथवा अधिवक्ता के जरिए उसका उत्तर, यदि कोई हो, पेपर बुक प्रारूप में दाखिल करें तथा जिसके तहत आप अपने बचाव में अथवा दावा, प्रत्युत्तर दावा आपके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सभी दस्तावेज तथा हलफनामा इस न्यायाधिकरण के समक्ष इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें। यह ध्यान दें कि न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारित तारीख एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई कर उस पर निर्णय प्रदान कर दिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा **14 अगस्त, 2026** को जारी।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार, पंजीयक-ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था**) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **आदित्य चौधरी उर्फ आदित्य ओमप्रकाश चौधरी (सह-उधारकर्ता, स्वर्गीय वीरमती उर्फ वीरमती देवी के पुत्र और कानूनी वारिस) प्रोपराइटर आदि डांस एकेडमी एंड फिटनेस स्टूडियो और पिंटू चौधरी (स्वर्गीय वीरमती उर्फ वीरमती देवी के पुत्र और कानूनी वारिस)** को **28.04.2026** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HLAPMAT00407297** की राशि **रू. 32,22,796.96 (रूपये बत्तीस लाख बाईस हज़ार सात सौ छियानवे और छियानवे पैसे मात्र)** और **27.04.2026** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **18.08.2026** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 32,22,796.96 (रूपये बत्तीस लाख बाईस हज़ार सात सौ छियानवे और छियानवे पैसे मात्र) 27.04.2026** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

हाउस नं. 235/1 के सभी भाग और खंड, भूतल, बिल्ट-अप एरिया 118.65 स्क्वे.मीटर्स., बेअरींग खसरा नं. मिन 1467 से 1469 और 1475 से 1490 और 1503, 1504 और 1518 से 1522 और 1523, 1524, 1525, 1527 और 1528 की ज़मीन पर निर्मित, मौज़ा बाड पर स्थित, तहसील और ज़िला मथुरा, श्री राधा टाउन के अंदर, मथुरा, उत्तर प्रदेश ।

सीमाएँ:
पूर्व : रोड कॉलोनी — पश्चिम : पार्क कॉलोनी
उत्तर : घर नं. 235/2 — दक्षिण : घर नं. 235

सही/-
दिनांक : 18.08.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : मथुरा — **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

---

dhani
धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
(CIN: U74899DL1994PLC062407)
पंजीकृत कार्यालय ए-2, पहली मंज़िल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली, दिल्ली 110015
ईमेलः loansupport@indiabulls.com, टेलीफोनः 011- 41052775,
फैक्स : 011- 42137986, **वेबसाइट:** www.dhaniloansandservices.com

शाखा बंद होने की सार्वजनिक सूचना

हम एतद्द्वारा अपने सभी हितधारकों और ग्राहकों को सूचित करते हैं कि हमारी **गाज़ियाबाद शाखा,** जो बी-8, दूसरी मंज़िल, आरडीसी राज नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 पर स्थित शाखा बंद होने जा रही है। कृपया ध्यान दें कि उक्त शाखा के बंद होने से कंपनी द्वारा हमारे ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेग़ा। हमारे सभी मौजूदा/ संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 के बीच हमारे कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर 0124-6555-555 पर संपर्क करें। वैकल्पिक रूप से, सभी प्रश्नों/ भुगतान/ ऋण या किसी अन्य संबंधित मामलों के लिए हमारी कस्टमर केयर ई-मेल आईडी loansupport@indiabulls.com पर लिखें।

हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी
धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के लिए

प्रपत्र सं. 14 [विनियम-33(2) देखें]

वसूली अधिकारी का कार्यालय - I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
मांग सूचना
बकाया ऋणों की वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 की धाराओं 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अधीन सूचना

आरसी/85/2026 — **11-08-2026**

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम मेसर्स डी रिग्यूर अपैरल्स प्रा. लि.

प्रति (सीडी 1) मेसर्स डी रिग्यूर अपैरल्स प्रा. लि. टी-6, प्लॉट सं. 2, तीसरी मंजिल, मालिक बिल्डकॉन प्लाजा-1, सेक्टर-12, द्वारका वेस्ट, दिल्ली और एक पताः प्लॉट सं. 173, पॉकेट-के, सेक्टर-5, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110039 (सीडी 2) श्री विजय कुमार मकान सं. 54, चौथी मंजिल, ब्लॉक-सी, सेक्टर-8, बागदोल्ला, द्वारका, नई दिल्ली 110076 (सीडी 3) श्री रामेश्वर कुमार जोशी पुत्र शंकर लाल जोशी गुरली उदयपुर जिंक स्मेल्टर उदयपुर 313024 (सीडी 4) श्री राकेश कुमार मुंजाल डी-24, बाबा बंदा बहादुर सीजीएचएस लि. ब्लॉक सं. 11/1, सेक्टर-14, रोहिणी दिल्ली 110085

यह अधिसूचित किया जाता है कि **टीए/1069/2022** में पीठासीन अधिकारी, ऋणों की वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के तहत जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार **रु. 30082157.03 (रुपये तीन करोड़ बयासी हजार एक सौ सनतावन एवं पैसे तीन मात्र)** के साथ **दिनांक 13/12/2021** से वसूली तक सालाना 8.65% की साधारण ब्याज की दर से वादकालीन एवं भविष्य के ब्याज की रकम तथा लागत **रु. 150000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)** आपके खिलाफ (संयुक्त तथा पृथक रूप में/सम्पूर्ण/सीमित) बकाया हो चुकी है। 2. आपको एतद्द्वारा इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अंदर ऊपर उल्लेखित रकम चुकता करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उसकी वसूली की जाएगी। 3. आपको एतद्द्वारा सुनवाई की अगली तारीख को अथवा उससे पहले अपनी सम्पत्तियों के विवरण हलफनामा द्वारा घोषित करने का आदेश दिया जाता है। 4. आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए **दिनांक 16/11/2026** को सुबह 10.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। 5. ऊपर उल्लेखित रकम के अलावा, आप पर निम्नलिखित का भुगतान करने की भी जिम्मेदारी हैः (क) प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद की शुरू अवधि के लिए भुगतेय ऐसे ब्याज। (ख) इस सूचना तथा वारंटों तथा अन्य प्रक्रियाओं तथा बकाया रकम की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में सभी लागतों, शुल्कों तथा किए गए व्यय की रकम। मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा दिनांकः **11/08/2026** को जारी।

वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
RELIGARE | HOME LOANS Values that bind — सपने आपके साथ हमारा
सीआईएन नंबरः U74899DL1993PLC054259
कार्यालयः पहली मंजिल, कार्यालय संख्या 101, 2ई/23, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, भारत
फोनः +91–11–4472 5676, **कॉर्पोरेट कार्यालयः** 8वीं मंजिल, मैक्स हाउस, ब्लॉक ए, डॉ. झा मार्ग, ओखला फेज 3, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली –110020, भारत, **फोनः** +91 –11 –4739 2500
www.religarehomeloans.com | homeloans@religare.com | 1860-266-4111,1800-103-9711,1800-309-9711

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के तहत रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ('आरएचडीएफसीएल') को प्रभारित अचल संपत्ति की बिक्री। (सरफेसी अधिनियम) 27.03.2017 को रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएचडीएफसीएल) के अधिकृत प्राधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा –14 के साथ पठित धारा 13 (4) के तहत अनुसूचित संपत्ति (यों) का कब्जा ले लिया है।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित प्रतिभूत संपत्ति आरएचडीएफसीएल के बकायों की वसूली के लिए आरएचडीएफसीएल की शर्तों पर **'जैसा है जहां है', जो भी है वहीं है आधार' तथा 'जो है यही है'** आधार पर निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

निजी संधि के माध्यम से बिक्री 03.09.2026 **को/उसके बाद 25,50,000/– रुपये की अचल सम्पत्ति, प्लॉट नं. बी150–151, माप 130 मीटर लगभग, दूसरी मंजिल छत के अधिकार सहित, ब्लॉक–बी, न्यू पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद**–201001 की समस्त सम्पत्ति की बिक्री के लिए आयोजित की जाएगी।

(अचल संपत्ति का विवरण)

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. निजी संधि के माध्यम से **'जैसा है जहां है', जो भी है वहीं है आधार' तथा 'जो है यही है'** आधार पर होगी।
2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए आरएचडीएफसीएल बोली सफलता पत्र प्राप्त होने के उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर बिक्री प्रतिफल का 25% और उसके बाद 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करने की आवश्यकता होगी।
3. 25% की जमा राशि का भुगतान दो भागों में किया जाना था यानी बिक्री मूल्य का 10% प्रस्ताव प्रपत्र के साथ जिसे 25% के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और शेष को आरएचडीएफसीएल द्वारा बोली सफलता पत्र जारी करने पर/बाद में भुगतान किया जाएगा।
4. 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर या समय–सीमा के भीतर, जैसा कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (4) के अनुसार क्रेता और प्रतिभूत लेनदार के बीच लिखित रूप में सहमति हो सकती है, उपरोक्त खंड (2) के तहत आवश्यक राशि को भेजने में विफलता के मामले में, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, तो क्रेता द्वारा आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान की गई कोई भी राशि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (3) के अनुसार या क्रेता द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. 'आरएचडीएफसीएल' द्वारा खरीद की पेशकश को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% की राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
6. संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह आरएचडीएफसीएल को ज्ञात हो या अज्ञात हो। अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
7. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में अधिकृत अधिकारी क सुरक्षित लेनदार के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

अचल संपत्ति का विवरणः– संपत्ति का समस्त भाग प्लॉट नंबर बी 150–151, माप 130 मीटर लगभग, दूसरी मंजिल छत के अधिकार के साथ, ब्लॉक–बी, न्यू पंचवाटी कॉलोनी, गाजियाबाद–201001

दिनांकः 07.00.2026 — **अधिकृत अधिकारी**
स्थानः गाजियाबाद — **रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड**

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड — मांग नोटिस
DMI HOUSING FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः एमबीडी हाउस, गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
फोनः +91–011–66107107, 011–69223700, ई–मेलः dmi@housingfinance.in, U65923DL2011PTC216373

जबकि नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह–कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं ने डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम बताते है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, कर्जदारों/ जमानतियों/बंधककर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज और मूलधन राशि के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, नीचे उल्लिखित संबंधित तारीखों पर खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित तारीखों पर मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस में उल्लिखित राशि पर अनुबंधित दर पर प्रासांगिक ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ भुगतान की तारीख तक नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानती के नाम	बकाया राशि (रु.)	ऋण राशि (रु.)	ऋण खाता संख्या
1.	1. अरविंद कुमार 2. सतेश अरविंद 3. पंकज कुमार (जमानती)	रु. 1993097/– (रुपये उन्नीस लाख तिरानवे हजार सत्तानवे मात्र) दि. 11.08.2026 तक देय	रु. 1890000 नोटिस की तारीख 11 अगस्त 2026	GG1258713 एनपीए की तारीख 8 अगस्त, 2026
संपत्ति का विवरणः– संपत्तिः **कानूनी पताः** सर्वोदय कॉलोनी, प्लॉट नंबर 2, खसरा नंबर 2294, गाँव–असोडा, हापुड़, उत्तर प्रदेश 245101, भारत (संपत्ति एरिया 1539 वर्ग फीट) के समस्त भाग व खंड। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः– उत्तर मेंः 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण मेंः अन्य का घर, पूर्व मेंः राज नारायण का घर, पश्चिम मेंः अन्य का प्लॉट				
2.	1. हामिद खान 2. सायरा बानो	रु. 415487/– (रुपये चार लाख पंद्रह हजार चार सौ सतासी मात्र) दि. 04.08.2026 तक देय	रु. 615992 नोटिस की तारीख 04 अगस्त 2026	GG934113 एनपीए की तारीख 3 अगस्त, 2026
संपत्ति का विवरणः– संपत्तिः **कानूनी पताः** फ्लैट नंबर 04, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 204/ए, पुष्प विहार कॉलोनी, खसरा नंबर 353–एमआई, तहसील लोनी, गाँव सदुल्लाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत (संपत्ति का एरिया 360 वर्ग फीट या 33.44 वर्ग मीटर) के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ इस प्रकार हैंः– उत्तर मेंः अन्य संपत्ति, दक्षिण मेंः अन्य संपत्ति, पूर्व मेंः अन्य संपत्ति, पश्चिम मेंः गली 15 फीट चौड़ी				
3.	1. देव राज सिंह 2. चंचल देव 3. माया देवी (जमानती)	रु. 841678/– (रुपये आठ लाख इकतालीस हजार छह सौ अठहत्तर मात्र) दि. 11.08.2026 तक देय	LOS2024040002999 रु. 846327 नोटिस की तारीख 11 अगस्त 2026	एनपीए की तारीख 8 अगस्त, 2026
संपत्ति का विवरणः– संपत्तिः **कानूनी पताः** मकान नंबर 59ए, मॉडर्न रेलवे सिटी, खसरा नंबर 157, ब्लॉक–ए, गाँव छपरौला, पुलिस चौकी छपरौला, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201311, भारत (संपत्ति का एरिया 20.90 वर्ग मीटर) के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ इस प्रकार हैंः– उत्तर मेंः राकेश की संपत्ति, दक्षिण मेंः राज की संपत्ति, पूर्व मेंः तिलक सिंह की संपत्ति, पश्चिम मेंः 18 फीट चौड़ी सड़क				
4.	1. राजेश सैनी 2. कुमारी पूनम 3. बाबू लाल 4. रज्जो देवी	रु. 1459045/– (रुपये चौदह लाख उनसठ हजार पैंतालीस मात्र) दि. 11.08.2026 तक देय	LOS2024080004978 रु. 1350704 नोटिस की तारीख 11 अगस्त 2026	एनपीए की तारीख 8 अगस्त, 2026
संपत्ति का विवरणः– संपत्तिः **कानूनी पताः** खसरा नंबर 226, 229, 228, 231 और 227, तहसील महावन और जिला मथुरा, गोकुल बांगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281004, भारत (संपत्ति का एरिया 99.21 वर्ग मीटर) के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तर मेंः 6 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण मेंः राधेलाल बाबू लाल की जमीन, पूर्व मेंः रवि शर्मा की जमीन, पश्चिम मेंः राधेलाल बाबू लाल की जमीन				
5.	1. रुचिता साहू 2. जयंत साहू	रु. 1074805/– (रुपये दस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ पाँच मात्र) दि. 04.08.2026 तक देय	रु. 1184818 नोटिस की तारीख 04 अगस्त 2026	GG906794 एनपीए की तारीख 3 अगस्त, 2026
संपत्ति का विवरणः– संपत्तिः **कानूनी पताः** प्लॉट नंबर 36 खसरा नंबर 237 शिव शक्ति एन्कलेव, गाँव–सलारपुर खादर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301, भारत (संपत्ति का एरिया 146.32 वर्ग मीटर) के समस्त भाग व खंड। उत्तर मेंः 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण मेंः अन्य का प्लॉट, पूर्व मेंः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम मेंः अन्य का प्लॉट				
6.	1. सुमित कुमार 2. शिखा कुमारी 3. प्रवेश कुमार (जमानती)	रु. 735480/– (रुपये सात लाख पैंतीस हजार चार सौ अस्सी मात्र) दि. 11.08.2026 तक देय	LOS2024090000737 रु. 696307 नोटिस की तारीख 11 अगस्त 2026	एनपीए की तारीख 8 अगस्त, 2026
संपत्ति का विवरणः– संपत्तिः **कानूनी पताः** प्लॉट नंबर 8, 9, 10, 11 का आवासीय खाली हिस्सा, खसरा नंबर 48, गाँव कमालपुर (दुर्गापुर), परगना और तहसील किठौर, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250104, भारत, (संपत्ति का एरिया 54.34 वर्ग मीटर) के समस्त भाग व खंड। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तर मेंः अन्य का घर, दक्षिण मेंः अन्य का घर, पूर्व मेंः 18 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम मेंः करम वीर सिंह का घर				

कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत प्रत्याभूत लेनदार की लिखित सहमति के बिना बिक्री/पट्टे या अन्य किसी भी तरीके से नोटिस में उल्लिखित उसकी प्रत्याभूत परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से कर्जदार निषिद्ध होंगे।

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.
दिनांकः 20.08.2026, स्थानः दिल्ली/एनसीआर — **प्राधिकृत अधिकारी**

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
Aavas FINANCIERS LTD — SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) **पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020**

निविदा सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्त व नियम 8 (6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की नीलामी विक्रय सूचना
आमजन तथा एवं व्यक्ति विशेष देनदारों तथा जमानती को सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लेखित प्रत्याभूत ऋणदाता की गिरवी / प्रभारित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, प्रत्याभूत ऋणदाता ''जैसे है जहाँ है'' जो भी और जैसा भी है के आधार पर विक्रय करने जा रहे हैं। प्रकरणों का विशेष विवरण इस प्रकार हैं–

ऋणी/सह–ऋणी/जमानती/बंधककर्ता का नाम	बकाया राशि दिनांक	13(2) डिमांड नोटिस की राशि व दिनांक	कब्जे की दिनांक	संपत्ति का विवरण (प्रतिभूति आस्ति)	संपत्ति का आरक्षित मूल्य	संपत्ति की धरोहर राशि	निविदा खोले जाने की तिथि व समय	निविदा खोलने, जमा कराने व नीलामी का स्थान आवास फाईनेंन्सियर्स लि.
विनोद खन्ना, अंजू रानी खन्ना **जमानतदार : महेश पारूथी** **खाता सं. : LNDEL00316-170028421**	₹ 34,43,479.00/- बकाया दिनांक 19 अगस्त 2026	16 मई 2024 ₹ 2234243/- बकाया दिनांक 14 मई 2024	17 सितम्बर 2024	फ्लेट नं. 201 पहली मंजिल पर, बिना छत अधिकार के सम्पत्ति नं. 663 खसरा नं. 663 गांव मुण्डका, विस्तारित लाल डोरा दिल्ली **क्षेत्रफल 120 वर्ग गज**	₹ 1402800/-	₹ 140280/-	प्रातः11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 19 सितम्बर 2026	फ्लेट नं. 701, विक्रम टॉवर बिल्डिंग, राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली–110008, दिल्ली - भारत

निविदा की शर्तें : 1. निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा शाखा में उपलब्ध निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि के चैक/बैंकर्स चैक/माँग ड्राफ्ट जो कि प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय हो, नीलामी से पहले कार्य दिवस के दौरान आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के उपरोक्त पते पर जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाएं आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। 2. सफल निविदाकर्ता को 25 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा तथा शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 15 दिन के अन्दर जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना बैंक में जब्त समझी जायेगी। 3. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या निविदा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा जमा कराने व निविदा खोलने वाली दिनांक को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस वाले दिन होगी। 4. सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड 201–202, दूसरी मंजिल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर–302020 **राजेश कुमार–8306252400 नोटः–** यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ताके लिए भी नियम 9 (1)/8(6) के अधीन 15/30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा कि यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर ही विक्रय की जाएगी।

स्थान : दिल्ली **दिनांकः 20.08.2026** — **प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड**

HDFC BANK
We understand your world
प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुंबई – 400 013
क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर I–15, सेक्टर 101, अल्फा, मोहाली आईटी सिटी–160062
ई-नीलामी बिक्री सूचना

बन्धनकृत संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी सूचना। ईएमडी और दतावेज जमा करने की अंतिम तिथि : नीचे दी गई तालिका में बताई गई तिथि। बन्धनकृत संपत्ति की बिक्रीः एचडीएफसी बैंक के अधिकृत अधिकारी ने ऑटो लोन/यूज्ड कार रीफाइनेंस ऋण खाता सं 111442913/148853439 (रजिस्ट्रेशन नंबर HP71A0632, इंजन नंबर G4LDLG000018, चेसिस नंबर MALPC811VLM010299 और मेक CRETA 1.4 SXO TURBO DCT PBSVI) के तहत गिरवी रखी गई गाड़ी का कब्ज़ा 23/05/2025 के आदेश के पालन में ले लिया था। अब, बैंक ने डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल–II चंडीगढ़ से 25–08–2025 के आदेश के तहत गिरवी रखी गई गाड़ी को बेचने की अनुमति मांगी है। माननीय डीआरटी ने बैंक की अर्ज़ी को मंजूरी दे दी है और बैंक को सुरक्षित संपत्ति बेचने की इजाज़त दे दी है। आदेश के पालन में, बैंक ने पहले बिक्री की सूचना जारी की थी, लेकिन बोलियां न मिलने के कारण गाड़ी नहीं बेची जा सकी। इसके अलावा, नीचे दिए गए ऋण खाता सं148853439/111442913 के लिए उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता और गारंटर को जारी की गई बाद की बिक्री सूचना के अनुसार, बैंक के बकाया और ब्याज की वसूली के लिए इसे "जैसा है, जहां है, जो है और बिना किसी रिकॉर्स के आधार पर" बेचने का अधिकार है। यह बिक्री निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति द्वारा 25/09/2026 को इन वेबसाइटों : Car Trade Exchange(MXC) cartradeexchange.com, Car Dekho cardekho.com, SHEERDRIVE sheerdrivepro.com और Mahindra FirstChoice (EDIIG) ediig.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

उधारकर्ता, गारंटर और बंधक रखने वालों के नामः 1. मेसर्स सर्ज इंडस्ट्रीज़ (उधारकर्ता) अपने पार्टनर श्री दीप नारायण गोयल के माध्यम से, पताः बी–61, भूतल, बादली, एक्सटेंशन नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली–110042 मोबाइल नंबरः 9899163830 ईमेल आईडीः dngoyal@yahoo.com पैन नंबरः ABRFS3311E; साथ ही मेसर्स सर्ज इंडस्ट्रीज़, गांव ओगली/कालांब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि.प्र.); साथ ही मेसर्स सर्ज इंडस्ट्रीज़, 777/519/428, नाहन रोड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि.प्र.) 173030; साथ ही मेसर्स सर्ज इंडस्ट्रीज़, 339, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–1, सोनीपत (हरियाणा)–131101, 2. दीप नारायण गोयल (सह–उधारकर्ता) पुत्र मदन लाल गोयल, पताः बी–27, यूजीएफ टैगोर रोड, दिल्ली आदर्श नगर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली–110042 मोबाइल नंबरः 9899163830 ईमेल आईडीः dngoyal@yahoo.com पैन नंबरः ABRFS3311E; साथ ही दीप नारायण गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल, पताः एफ–22/143, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली–110085, 3.श्रीमती किरण गोयल, पत्नी श्रीधर गोयल, निवासी एफ–22/143,सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली–110085। 4. श्रीमती मीना गोयल, पत्नी श्री दीप नारायण गोयल, एफ–22/143, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली–110085,

ऋण राशि/केस में दर्ज राशि	रु. 45,13,331.79 (पैंतालीस लाख तेरह हज़ार तीन सौ इकतीस रुपये और उन्यासी पैसे)।		
ऋण खाता संख्याओं	सुविधाः ऑटो लोन और पुरानी कार रीफाइनेंस ऋण खाता –148853439/111442913		
17–अगस्त–2026 तक बकाया राशि	रु. 21,89,018.70 (इक्कीस लाख नवासी हज़ार अठारह रुपये और सत्तर पैसे)।		
आरक्षित मूल्य	रु .5,24,000 (पाँच लाख चौबीस हज़ार रुपये)।	**बोली वृद्धि राशि**	रु.5,000 (दस लाख से ऊपर)
बोली प्राप्त होने की तिथि	25–सितंबर–2026, सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।	**नीलामी की तिथि और समय**	25/09/2026, सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक।
बैंक के पास गिरवी रखी संपत्ति का विवरणः	ऑटो लोन और पुरानी कार रीफाइनेंस ऋण खाता(ऋण खाता सं.–148853439/111442913); रजिस्ट्रेशन नंबर HP71A0632; इंजन नंबर G4LDLG000018; चेसिस नंबर MALPC811VLM010299; और मेक (मॉडल) CRETA 1.4 SX O TURBO DCT PBSVI		

नीलाम की जाने वाली गिरवी रखी संपत्ति का विवरणः–

ऋण खाता	उत्पाद	मॉडल	इंजन	चेसिस नंबर	रजिस्ट्रेशन नंबर
148853439/111442913	ऑटो लोन और पुरानी कार के रीफाइनेंस ऋण	CRETA 1.4 SX O TURBO DCT PBSVI	G4LDLG000018	MALPC811VLM010299	HP71A0632

नियम और शर्तें 1. ई–नीलामी "जैसा है, जहाँ है, जो है और बिना किसी रिकॉर्स (दावे) के आधार पर" आयोजित की जा रही है। 2. अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। **3.** बोली लगाने वालों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसकी विशेषताओं की जांच करें और उनसे संतुष्ट हों। नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को उन साइटों पर करने की अनुमति होगी जो गिरवी रखी संपत्ति के विवरण के साथ बताई गई हैं। **4.** इच्छुक बोलीदाता अपनी ईएमडी(बयाना राशि) इन वेब पोर्टल्स के माध्यम से जमा करेंगेः Car Trade Exchange(MXC) cartradeexchange.com,Car Dekho cardekho.com,SHEERDRIVE sheerdrivepro.com और Mahindra FirstChoice (EDIIG) ediig.com (पोर्टल के लिए ज़रूरी भुगतान करने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर बताए गए पोर्टल के नियमों और शर्तों में बताया गया है)। सबसे ऊंची बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की मंज़ूरी के अधीन होगी। इसके अलावा,अधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव /बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। **5.** रजिस्ट्रेशन और भाग लेने के लिए, बोली लगाने वाले को पोर्टल की शर्तों और नियमों का पालन करना होगा और पोर्टल की शर्तों के अनुसार ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। **6.** जो इच्छुक बोली लगाने वाले लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बिडिंग प्रक्रिया पर ट्रेनिंग आदि में मदद चाहते हैं, वे ऊपर बताए गए पोर्टल पर लिखकर मदद मांग सकते हैं। साथ ही, यह स्पष्ट किया जाता है कि एचडीएफसी बैंक की किसी भी तरह की मदद देने में कोई भूमिका नहीं है। **7.** ऑनलाइन इंटर–से बिडिंग के दौरान, बोली लगाने वाला '' बोली वृद्धि राशि '' (ऊपर बताया गया है) या उसके गुणक के अनुसार अपनी बोली की राशि बढ़ा सकता है। यदि ई–नीलामी के बंद होने के समय के आखिरी 5 मिनटों के दौरान बोली लगाई जाती है,तो बंद होने का समय अपने आप 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा (हर बार ई–नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह अपने आप बंद हो जाएगा। ई–नीलामी प्रक्रिया के बंद होने पर जो बोली लगाने वाला सबसे ज़्यादा बोली राशि (रिज़र्व प्राइस से कम नहीं) जमा करता है, उसे ज़रूरी सत्यापन के बाद अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार द्वारा सफल बोली लगाने वाला घोषित किया जाएगा। **8.** अधिकृत अधिकारी सबसे ज़्यादा ऑफ़र स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ऑफ़र को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई–नीलामी को स्थगित/टालने/रद्द करने का पूरा अधिकार है। **9.** बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई–नीलामी में भाग लेने से पहले ऊपर बताए गए पोर्टल की विस्तृत शर्तों और नियमों को पढ़ लें। **10.** इच्छुक बोली लगाने वाले के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उक्त डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करना और बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर टर्मिनल/सिस्टम तक पहुंच सुनिश्चित करना पूरी तरह से बोली लगाने वाले की ज़िम्मेदारी है। ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के दौरान डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और कनेक्टिविटी से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए पूरी तरह से बोली लगाने वाला ज़िम्मेदार होगा और इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली लगाने के इच्छुक लोगों को इन वेब पोर्टल्स : Car Trade Exchange(MXC) cartradeexchange.com,Car Dekho cardekho.com,SHEERDRIVE sheerdrivepro.com और Mahindra FirstChoice (EDIIG) ediig.com पर अपना नाम रजिस्टर करना होगा। साथ ही, नियमों और शर्तों के अनुसार ज़रूरी भुगतान करके यूज़र–आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। जिन बोलीदाताओं के पास पैन के सही सत्यापन के बाद ऊपर बताए गए पोर्टल्स से मिला वैध आईडी और पासवर्ड है, वे इन पोर्टल्स पर ऑनलाइन ई–ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। **11.** बोलीदाताओं को अपनी भलाई के लिए आखिरी समय में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या विफलता (जैसे इंटरनेट या बिजली का जाना आदि) के लिए न तो एचडीएफसी बैंक और न ही सर्विस प्रोवाइडर ज़िम्मेदार होंगे। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बिजली बैक–अप आदि जैसी सभी ज़रूरी व्यवस्थाएँ या विकल्प तैयार रखें, ताकि वे ऐसी स्थितियों से निपट सकें और सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। ओए. स.1175/2024 में मामलें का शीर्षकः "एचडीएफसी बैंक बनाम सर्ज इंडस्ट्रीज़ और 3 अन्य" में डीआरटी के 25–08–2025 के आदेश के अनुसार 15 दिनों का बिक्री नोटिस। **उधारकर्ता और गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे ई–नीलामी की तारीख से पहले ऊपर बताई गई राशि, साथ ही अब तक का ब्याज और अन्य खर्चों का भुगतान करें। ऐसा न करने पर एसेट (संपत्ति) की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बची हुई बकाया राशि, यदि कोई हो, तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।**

दिनांक : 20–08–2026, स्थानः दिल्ली — **अधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**

TRIBUTE

History as constant exploration: Sumit Sarkar through five books

1939-2026

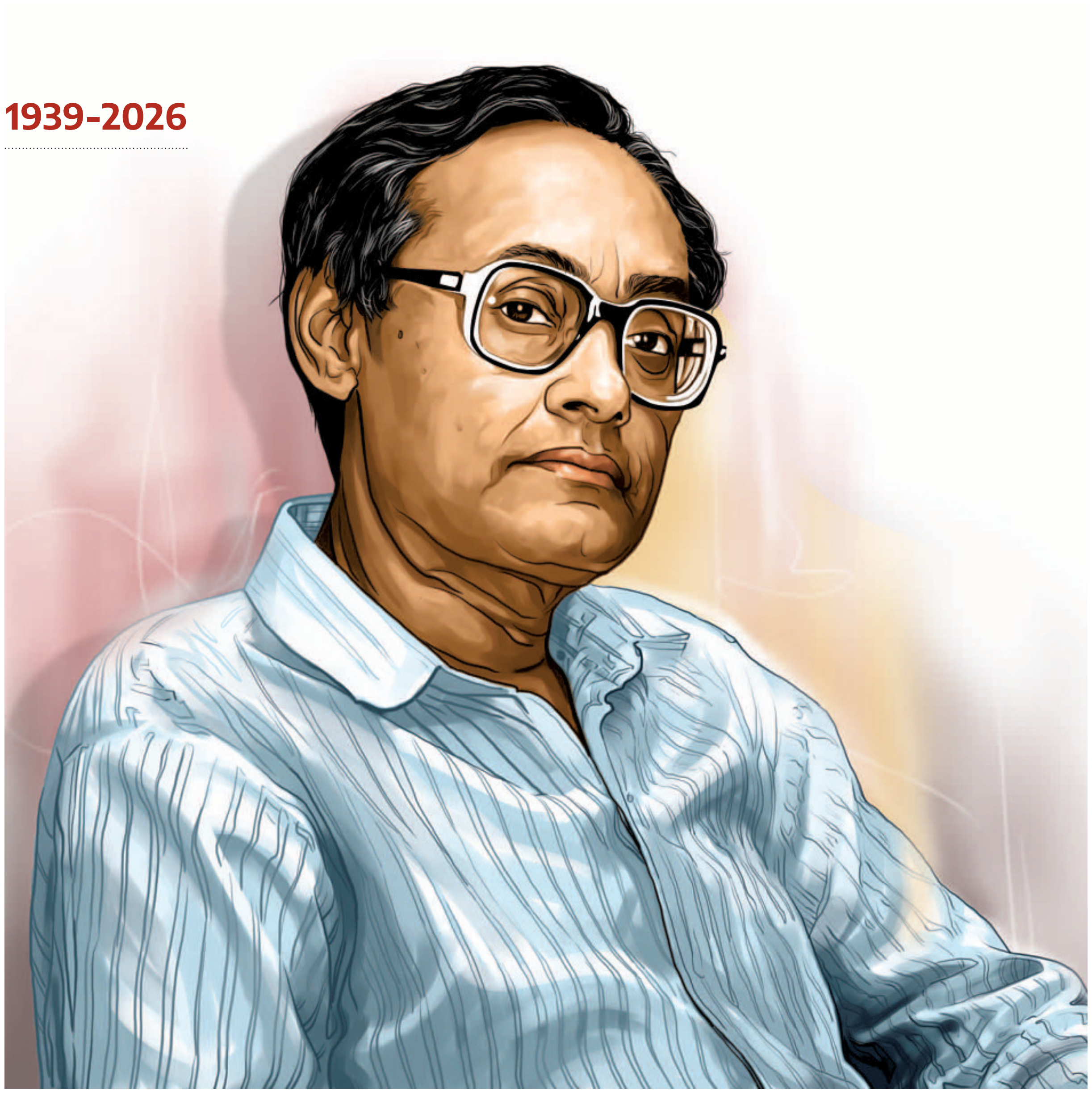

ILLUSTRATION: BINAY SINHA

PRADIP KUMAR DATTA

Sumit (without suffix, prefix, surname — that is what he liked) published *Modern Times* seven years after an accident that left him nearly dead and impaired in many ways. He wrote that it was impossible to update his classic *Modern India*. Too much new research plus his own unexpected transformations made it impossible to do so. He had to write a new volume altogether. To refuse to revise a classic is an obvious mark of integrity and the resilience it demands. More interesting is what it enabled him to do and its illumination of the intellectual life of a historian who has changed the way we look at history itself.

The sub-text of *Modern Times* is a strong dissatisfaction with what may be broadly called the cultural turn in historical writing. The famous expression of this discontent was his critique of the shift in subaltern studies — an academic movement that put the marginalised at the centre of history-writing — from popular movements to cultural structures shaped by colonial knowledge. But this criticism generated a larger project of expanding the scope of historical research to understand culture in its changing inter-relationships with the economy and material conditions of life. In this, Sumit was enabled (and, I hasten to say, not shaped) by thinkers like Antonio Gramsci, E P Thompson and Raymond Williams.

Modern Times acknowledges the trajectory of centralisation that the Empire generated. But Sumit constantly underlines the shifts in the nature of colonial power, including its racism that moves from cultural to biological difference. He also ?underlines the paradoxical effect of colonial power in provoking new kinds of resistance as well as the ambiguous — if not deleterious — impact of what we may today call "development", such as the introduction of the railways.

Significantly, Sumit spends nearly a third of *Modern Times* on the city and its cultural productions, ranging from its changes in layout and experience of the city, the ever-rising and ever-new middle class, to its museums, literature, cinema, art and so on. But then he spends yet another third of the book on the economy. Besides going over the colonial stranglehold over the commanding heights of the economy, a great part of this section looks at the social character of Indian industry. While showing the well-organised character of the Indian bazaar (that produces the Birlas and Ispahanis who influence Gandhi and Jinnah, respectively) as well as the humble village peddlers, Sumit goes on to explicate the important debates on the nature of labour: To what extent did they carry the culture of rural hierarchies with them to the city; or were these hierarchies structured by the very nature of organised business enterprises that was dependent on petty production and unorganised labour?

The contrast with *Modern India* is instructive. Shaped by "history from below", both colonial dispensation and the economic are given short shrift in this volume. Instead, the focus is on a revised notion of political history in which tribals, peasants, including lower caste groups and other subaltern sections are the critical actors. The great contribution of this volume is its comprehensive picture of political events since 1885, with the subalterns as the anchor of its story. Interestingly, Sumit's plan was to write a second volume of *Modern Times* focussing on political events. We can only speculate how his understanding of this area would have exceeded the scope of *Modern India*.

Sumit's capacity to synthesise cutting edge research into textbooks is probably unmatched globally, especially if one takes into account his ability to make the reader share in the excitement of discovering fresh research. While Sumit articulates his reservations about Edward Said and Michel Foucault, he, at the same time, absorbs the ways in which they have extended historical research. But he works with their insights in his own way. Foucault may have encouraged historians to look beyond the State, and the massive extension of themes in *Modern Times* testifies to this. At the same time, all these themes are not just wedded to a single thematic such as power/knowledge, but appear as multiple — although mutually informing — stories of the same period of time. It is plural history at its best.

SUMIT'S CAPACITY TO SYNTHESISE CUTTING EDGE RESEARCH INTO TEXTBOOKS IS PROBABLY UNMATCHED GLOBALLY, ESPECIALLY IF ONE TAKES INTO ACCOUNT HIS ABILITY TO MAKE THE READER SHARE IN THE EXCITEMENT OF DISCOVERING FRESH RESEARCH

Many of these facets are evident in his original research and thinking, of which there are many examples. A particularly revealing case is the theme of Time that he takes up in his *Writing Social History*. Using a buried scandal in an obscure village as the central event, Sumit explores a cluster of issues that is generated by the myth of the *Kali Yug* (Dark Ages). The latter offers salvation from a world turned upside down by the emerging power of women and the Shudras. Sumit uses this myth to examine the prolific productions of print that reinterpreted the myth to regard the 'disorderly woman' as the modern wife while articulating a resentment of the domination by colonial power and its regime of clerical work regulated by clock-time. Sumit explores a new subject that lives in an oscillating mood between activist projects and that of passivity or childlike play, all involving retirement from urban life and its responsibilities. It is through this new subjectivity that Sumit extends his analysis to the upper *bhadralok* world — a term for the genteel Bengali — associated with the influential spiritual Guru, Ramakrishna Paramhansa. I should add that Sumit in his later period — possibly impacted by both the narrative turn and interest in print culture in historical writing — explores multiple narratives of which the work on popular lower caste tracts in *Beyond Nationalist Frames* is an excellent example.

Sumit's most renowned, pioneering work is, of course, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*. Although covering just five years, it's an epic. Sumit broke apart the idea that the nationalist movement was shaped by only a few leaders engaged in a debate between extremists and moderates. Instead, he extended the story horizontally, showing how the middle-class leadership was divided into four ways of thinking and action: The liberal moderates, the practitioners of boycott and passive resistance, constructive swadeshi (stressing self-dependence, supported by Tagore) and revolutionary terrorism. But he also took a vertical direction by underlining the importance of the peasantry, especially the rural Muslims, who were alienated by the then unthinking Hindu bias and symbolism of the movement itself.

Possibly, Sumit's exposure to the destructive power of even the unthinking Hindu biases made him prescient about the rise of a Hindu nationalism in the present. He read present-day Hindu nationalism as a targeted, controlled, political and social programme, different from the spontaneous communal energies of the Swadeshi period. It wasn't just riots and violence that were at stake. With — maybe partly through — the dissenting voice of the poet Rabindranath Tagore in Swadeshi times, Sumit grasped the implications of Hindu nationalism in subjugating both minorities, and the marginal and the poor to the rule of the powerful. Sumit was never intellectually dismissive of the Hindutva project. He took it with deadly seriousness for he grasped the challenge it posed to the aspirations and ideals of the anti-imperialist movement that generated multiple imaginings of freedom and ways to attain it. It was this story, with all its possibilities as well as its messy, difficult problems, that needed to be preserved and expanded if the present had to be defended with its democratic ideals.

But Sumit did not simply instrumentalise the past to meet present challenges. For him, the present enabled a constant dynamic and ever-expanding understanding of the past. Just as the past sharpened the sensitivities of the historian to the possibilities and dangers of the present. Sumit remains the exemplar of a dialogic historian.

The writer is a former student of Sumit Sarkar. He taught political thought at Delhi University and JNU, and was one of the co-authors, along with Sarkar, of Khaki Shorts and Saffron Flags